



1. महावीर जयंती के अवसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा— भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपनाकर नागरिक अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।
2. लोकसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक—2025 ध्वनिमत से पारित किया।
3. दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि परिवर्तन मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की है।
4. आगामी जनगणना को देखते हुए पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।



पूरे देश में आज जैन धर्म के चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर, भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही है। आज के दिन भगवान महावीर की विशेष प्रार्थना की जाती है और रथयात्रा निकाली जाती है। यह पर्व करुणा, संयम और सत्य के व्रत का पालन करने का संदेश देता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान महावीर के पांच सिद्धांत—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—जीवन में सत्य पथ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इन सिद्धांतों को अपनाकर नागरिक अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि भगवान महावीर ने समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई और बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त किया और उनकी शिक्षाएं सदा प्रासंगिक रहेंगी।



लोकसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक—2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। यह विधेयक पहले संसद की प्रवर समिति को भेजा गया था। इसके बाद दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में आगे संशोधन के लिए सदन में प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य प्रक्रियागत विलंब और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान करना है।



पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से पशु चिकित्सा औषधालय, मंगलुटान के अधिकार क्षेत्र में एक व्यापक डोर-टू-डोर फॉलो-अप बांझपन निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियाँ चलाई गईं, जिनमें पशुओं की जाँच, उपचार और परामर्श शामिल था। इस शिविर से 13 किसान लाभान्वित हुए। किसानों को उचित प्रजनन प्रबंधन, संतुलित पोषण, समय पर पशु चिकित्सा, हीट डिटेक्शन, पशुओं की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय पर जानकारी दी गई।



दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने स्वराज द्वीप में भूमि परिवर्तन मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सेवा वितरण में सुधार करना और लंबित मामलों की संख्या को कम करना है। इस

सिलसिले में सहायक आयुक्त कमलेश्वर राव की अध्यक्षता में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कुल एक सौ अट्टारह मामलों में नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से नवासी मामलों पर सुनवाई की गई। इस शिविर में दो हजार नौ से लंबित पुराने मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया गया। भूमि परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रीमियम जमा करने की तत्काल व्यवस्था की गई थी। भूमि मामलों के अलावा, स्थानीय निवासियों की अन्य सार्वजनिक शिकायतों का समाधान भी किया गया।



मत्स्यपालन विभाग ने श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के सहयोग से जंगलीघाट फिश लैंडिंग सेंटर में जन स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और मछली की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया। यह स्वच्छता अभियान दो चरणों में चलाया गया। इसमें विभागीय अधिकारियों और मछुआरा समुदाय ने भाग लिया। अभियान के दौरान क्षेत्र से कुल पन्द्रह ट्रक कचरा हटाया गया। मछुआरों को कचरे के उचित निपटान के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया गया।



उद्योग निदेशालय के तहत संचालित अंडमान निकोबार एम्पोरियम – सागरिका के सभी आउटलेट वार्षिक स्टॉक सत्यापन और सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण चार से छः अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसमें मिडिल प्वाइंट, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सेल्यूलर जेल, राधानगर स्थित आउटलेट शामिल है। इस अवधि के दौरान इन सभी केंद्रों पर व्यावसायिक कामकाज और परिचालन पूरी तरह से निलंबित रहेगा।



शहरी क्षेत्रों के जनगणना कर्मियों के लिए कल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के सभागार, गर्ल्स स्कूल, आईसीसीसी भवन और डीब्रेट के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किए जा रहे हैं। सत्र के दौरान प्रशिक्षकों ने जनगणना कार्यों के संचालन के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल पर विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण का उद्देश्य आगामी जनगणना गतिविधियों के प्रभावी और सुचारु संचालन के लिए सभी कर्मियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। प्रशिक्षण में पर्यवेक्षकों और प्रगणकों की जिम्मेदारियों, डेटा संग्रह पद्धति, जनगणना के निर्धारित नियमों और मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अगले दो दिनों तक जारी रहेगा।



बाराटांग पुलिस थाना की ओर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ओरलकाच्छा में अग्नि सुरक्षा निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल सुरक्षा मूल्यांकन उपकरण के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना था। इसके तहत स्कूल में स्थापित अग्निशामक यंत्रों की कार्यक्षमता की जाँच की गई। शिक्षकों को अग्नि सुरक्षा के सिद्धांतों और अग्निशामक यंत्रों के सही उपयोग के बारे में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। विद्यालय के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुधारों के सुझाव दिए गए। इस पहल का उद्देश्य स्कूल परिसर में आग से बचाव

के उपायों को मजबूत करना, आपातकालीन तैयारी को बेहतर बनाना और स्कूल कर्मियों और विद्यार्थियों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना था।



जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के पूर्व छात्र जो अप्रैल-मई में आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनसे दस अप्रैल तक कॉलेज के प्रवेश अनुभाग में पूर्ण रूप से भरे हुए परीक्षा फॉर्म जमा करने को कहा गया है। परीक्षा फॉर्म कॉलेज में कल से उपलब्ध कराई जाएगी।



अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष रंगलाल हलदर ने उपराज्यपाल से श्री विजयपुरम और मुख्यभूमि के बीच साप्ताहिक यात्री जहाज सेवाएं शुरू करने की अपील की है। उपराज्यपाल को लिखे अपने पत्र पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि हवाई जहाज के टिकटों की बढ़ती कीमतों और यात्री जहाजों की सीमित उपलब्धता के कारण द्वीपवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने साप्ताहिक जहाज सेवा शुरू करने, जहाजों की पर्याप्त क्षमता, नियमित समय-सारणी और यात्रा की जानकारी का समय पर प्रसार सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया।

